



हरियाणा HARYANA

02AA 108995

ब्यान हल्फिया तथा वचन पत्र

मैं सतबीर सिंह पुत्र श्री गंगा राम उम्र 41 वर्ष निवासी गांव अम्बेडकर कालोनी, मकान नम्बर 200, ब्रिजवासन, दिल्ली अपने हल्फ से शपथपूर्वक ब्यान तथा वचन देता हूं :-

1. यह कि मैं फैशन एक्सप्रेस प्लाट नम्बर 100 फेस-1, उद्योग विहार, गुडगांव में कार्यरत श्रमिक हूं और श्रमिकों के संगठन फैशन एक्सप्रेस कर्मचारी संगठन रजि0 नम्बर 1825 का सर्व सम्मति से निर्वाचित प्रधान हूं।
2. यह कि मुझे मैसर्स फैशन एक्सप्रेस के प्रबन्धकों ने दिनांक 24¹¹/₀₆ के आदेश द्वारा गैर कानूनी रूप से नौकरी से निकाल दिया है। मेरे साथ तीन अन्य श्रमिकों सर्व श्री आनन्द कुमार, श्याम दत्त, बाबू लाल को भी नौकरी से निकाल दिया गया है।
3. यह कि उपरोक्त मामले में तथा यूनियन के अन्य मामलों को लेकर संस्थान के श्रमिकों तथा यूनियन के सदस्यों की आम सभा दिनांक 28.11.06 को शनि मन्दिर के प्रांगण में सम्पन्न की गई थी। जिसमें एटक हरियाणा के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री भीमसैन प्रमाकर, दिनेश कुमार वर्मा, एटवोकेट, बलबीर कम्बोज तथा क्लासिक गोल्फ रिसोर्ट यूनियन के प्रधान रमेश भडाना सहित कई पदाधिकारियों ने भी भाग लिया था।



10523

Subhojit Charya per

Ag

AMIT KUMAR
STAMP VENDOR
Court, Gurgaon
20 DEC 2006
Sign _____



4. यह कि उपरोक्त मिटिंग के दौरान मेरे सहित नौकरी से निकाले गए चारों श्रमिकों ने सभी श्रमिकों व उपरोक्त व्यक्तियों के सम्मुख यह ब्यान दिया था और यह शपथ ली थी कि चारों नौकरी से निकाले हुए श्रमिक किसी भी सूरत में प्रबन्धकों से आपसी समझौता नहीं करेंगे और हिसाब किताब लेने की कोई बात नहीं करेंगे तथा प्रबन्धकों के गैर कानूनी कृत्य के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। इस मिटिंग में उपस्थित सभी यूनियन सदस्यों ने संघर्ष में तन, मन, धन से पूरा सहयोग देने का वचन दिया था।

5. यह कि मैं निजी तौर पर भी वचन देता हूँ कि मैं प्रबन्धकों से किसी प्रकार की काई आपसी बातचीत नहीं करूंगा और हिसाब किताब नहीं लूंगा। अर्थात् नौकरी बहाली व अन्य मामलों में संघर्ष के रास्ते को ही अपनाऊंगा।

6. यह कि मैंने अपने नौकरी बहाली के मामले के लिए श्री भीमसैन प्रभाकर, श्री सुरेश गौड, श्री बलबीर काजल एटक प्रतिनिधियों तथा श्री दिनेश कुमार वर्मा एडवोकेट को अधिकृत किया हुआ है। जो कि हमारी यूनियन के अन्य मामले भी देख रहे हैं।

7. यह कि यदि मैंने उपरोक्त दिये गए शपथ पत्र तथा वचन पत्र को तोड़ा या उल्लंघन किया और यदि प्रबन्धकों से नौकरी बहाली के मामले में सीधे तौर पर कोई आपसी समझौता किया और चूकता हिसाब लिया तो उस सूरत में मैं बतौर फीस और हर्जाना 22,000/- रूपयें (बाइस हजार) रूपयें की राशि जिला एटक कमेटी को सुरेश गौड प्रधान के माध्यम से अदा करने का वचन देता हूँ।

स्थान : गुड़गॉवा
दिनांक : 20.12.2006

ब्यानकर्ता

सतबीर सिंह
22-12-2006

सत्यापन

मैं सतबीर सिंह उपरोक्त ब्यानकर्ता सत्यापित करता हूँ कि मेरे उपरोक्त ब्यान हल्फिया पेज 1-7 में जो भी लिखा गया है यह सब बाते पूरी सूझ बूझ से सही तथा दुरुस्त लिखी है। कोई भी बात ना तो गलत है और ना ही छुपाई गई है।

स्थान : गुड़गॉवा
दिनांक : 20.12.2006

ATTESTED
Oath Commissioner
GURGAON

शपथकर्ता

सतबीर सिंह
22-12-2006